24,972

संख्याः /सात लाई०एस०–47/व्यव०/2024–25/सा०निर्देश/विज्ञप्ति

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

29

देहरादून, दिनांकः फरवरी, ,2024

विशयः–वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) की अवधि हेतु सी०एल०–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की फुटकर दुकानों एवं थोक मदिरा अनुज्ञापन के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में संशोधित समय सारणी के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 24201 सात लाई०एस०–42/व्यव०/2024–25/सा०निर्देश/विज्ञप्ति दिनांक 21 फरवरी 2024 एवं पत्र संख्या 24220 सात लाई०एस०–42/व्यव०/2024–25/सा०निर्देश/ विज्ञप्ति दिनांक 21 फरवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः देशी, विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन एवं थोक मदिरा अनुज्ञापन हेतु सामान्य निर्देश एवं व्यवस्थापन की समय सारणी निर्गत की गई थी। मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन एवं मदिरा के थोक अनुज्ञापनों के आवंटन हेतु सामान्य निर्देश यथावत रखते हुए राजस्व हित में समय सारणी में आंशिक संशोधन किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैः–

जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी एवं हरिद्वार की मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण हेतु समय–सारणी

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1.	जिलाधिकारी द्वारा दुकानों का वर्ष 2024–25 के निर्धारित राजस्व पर दुकानों के नवीनीकरण हेतु आबकारी आयुक्त को प्रेषित किए जाने की अन्तिम तिथि	05.03.2024
2.	आबकारी आयुक्त द्वारा नवीनीकरण के संबंध में निर्णय लेते हुये सम्बन्धित आवेदक को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन की अनुमति प्रदान किए जाने की अन्तिम तिथि	07.03.2024
3.	नवीनीकरण हेतु निर्धारित धनराशियां जमा करने की अन्तिम तिथि व समय (नवीनीकरण की प्रकिया समाप्त)	08.03.2024

4.	अंतिम रुप से नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत दुकानों की सूची तैयार की जाएगी तथा अनवीनीकृत (अव्यवस्थापित) मदिरा दुकानों के लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि (जिला आबकारी अधिकारी द्वारा)	09.03.2024

जनपद पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं देहरादून की मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण हेतु समय–सारणी

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1.	जिला अधिकारी द्वारा दुकानों का वर्ष 2024–25 के निर्धारित राजस्व पर दुकानों के नवीनीकरण हेतु आबकारी आयुक्त को प्रेषित किए जाने की अन्तिम तिथि	07.03.2024
2.	आबकारी आयुक्त द्वारा नवीनीकरण के संबंध में निर्णय लेते हुये सम्बन्धित आवेदक को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन की अनुमति प्रदान किए जाने की अन्तिम तिथि	09.03.2024
3.	नवीनीकरण हेतु निर्धारित धनराशियां जमा करने की अन्तिम तिथि व समय (नवीनीकरण की प्रकिया समाप्त)	10.03.2024
4.	अंतिम रुप से नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत दुकानों की सूची तैयार की जाएगी तथा अनवीनीकृत (अव्यवस्थापित) मदिरा दुकानों के लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि (जिला आबकारी अधिकारी द्वारा)	10.03.2024

नवीनीकरण के पश्चात अवशेष मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु लॉटरी की समय सारिणीः–

क्रमांक	प्रथम चरण	दिनांक
1.	लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि (प्रारंभ)	11.03.2024
2.	लॉटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	15.03.2024 सायं 05:00 बजे तक
3.	लॉटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	17.03.2024
4.	लॉटरी की तिथि/समय एवं स्थल (संबंधित जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में)	18.03.2024 प्रातः 10:00 से प्रक्रिया समाप्त होने तक

क्रमांक	लॉटरी हेतु द्वितीय चरण	दिनांक
1.	द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु सूक्ष्म विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि	19.03.2024
2.	लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि (प्रारंभ)	19.03.2024
3.	लॉटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	21.03.2024 सायं 05:00 बजे तक
4.	लॉटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	22.03.2024
5.	लॉटरी की तिथि/समय एवं स्थल (संबंधित जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में)	23.03.2024 प्रातः 10:00 से प्रक्रिया समाप्त होने तक

क्रमांक	प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर मदिरा दुकानों का आवंटन	दिनांक
1.	प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत से मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन की तिथि व समय	24.03.2024 (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक)
2.	प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत से मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	24.03.2024 (अपराह्न 02:00 बजे से 03:00 बजे तक)
3.	प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत से मदिरा दुकानों के आवंटन की तिथि व समय (संबंधित जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में)	24.03.2024 (सायं 04:00 बजे से आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होने तक)

क्रमांक	अधिकतम ऑफर के माध्यम से मदिरा दुकानों का आवंटन	दिनांक
1.	अधिकतम ऑफर के माध्यम से मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन की तिथि व समय	25.03.2024 सायं 05:00 बजे तक

2.	अधिकतम ऑफर के माध्यम से प्राप्त राजस्व ऑफर के अनुमोदनार्थ आबकारी आयुक्त को प्रेषित किए जाने की तिथि	25.03.2024
3.	अधिकतम ऑफर के माध्यम से प्राप्त राजस्व ऑफर के अनुमोदनार्थ आबकारी आयुक्त को प्रेषित किए जाने की तिथि	25.03.2024

<u>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु थोक मदिरा अनुज्ञापन (एफ०एल०–2/सी०एल०–2/एफ०एल०–2(ο)) के व्यवस्थापन/आवंटन हेतु जारी समय सारणी में संशोधन किया जाता है, जो निम्नवत है –</u>

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1.	एफ०एल०–2(ο) अनुज्ञापन हेतु आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि	04.03.2024
2.	एफ०एल०–2/सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि	05.03.2024
3.	एफ०एल०–2/सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने की अंतिम तिथि	07.03.2024
4.	एफ०एल०–2(ο) अनुज्ञापन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने की अंतिम तिथि	05.03.2024
5.	जनपद स्तर पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा एफ०एल०–2/सी०एल०–2 अनुज्ञापन जारी किए जाने की अंतिम तिथि	09.03.2024
6.	मदिरा निर्माता ईकाई/बॉण्ड अनुज्ञापन धारकों द्वारा ई०डी०पी० प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि	09.03.2024
7.	देशी/विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, आर०टी०डी० आदि के ब्राण्ड लेबल अनुमोदन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि	09.03.2024

नोटः–

1. यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।
2. उपरोक्त विवरण तथा वर्ष 2024–25 की आबकारी नीति की अधिसूचना विभागीय पोर्टल www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in पर देखी जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिसूचना संख्या– 148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 दिनांक 21 फरवरी 2024 का गहनता से परिशीलन करके समस्त प्राविधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है। आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश आबकारी राजस्व हित में निर्धारित आबकारी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि शासन की आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में सी0एल0–5सी (देशी

शराब व बीयर) तथा एफ0एल0–5 डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की दुकानों का व्यवस्थापन तथा एफ०एल०–2/सी०एल०–2 अनुज्ञापन सफलतापूर्वक उपरोक्तनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त आर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

24,973-78

संख्याः /सात लाई०एस०–47/व्यव०/2024–25/सा०निर्देश/विज्ञप्ति देहरादून,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. सहायक आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट **www.uttarakhandexcise.org.in** पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. निदेशक **NIC** व **ITDA,** उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित की संबंधित जनपद की राजस्व सूची, सामान्य निर्देश एवं व्यवस्थापन की समय सारणी को **www.uk.gov.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(प्रशान्त आर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब–5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा–5घ) के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र।

(मदिरा की फुटकर दुकान हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 में निर्धारित शर्तो के अनुसार उपयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकते है)

(क) निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें:–

आवेदक का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम..
2. पिता/पति का नाम..
3. आयु ....
4. जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष............./............../.............
5. लिंगः पुरूष/महिला...................................
6. स्थाई पता...

मकान नम्बर..
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...
थाना/पटवारी पट्टी...
तहसील/उप तहसील...
जिला...उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)..
मोबाईल नम्बर ....

7. पैन नम्बर..
8. आई०टी०आर० का विवरण ....
9. आधार कार्ड नम्बर ....
10. नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा दुकान का विवरण...
11. जनपद..

(ख) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें:–

1. सह आवेदक का नाम..

सह आवेदक का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

2. पिता/पति का नाम...

3. आयु ....

4. जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष............./............./.............

5. लिंगःपुरूष/महिला......................................

6. स्थाई पता...

मकान नम्बर..
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..
थाना/पटवारी पट्टी..
तहसील/उप तहसील...
जिला..उत्तराखण्ड।
दूरभाश (लैण्ड लाइन नम्बर)...
मोबाईल नम्बर ....

7. पैन नम्बर...

8. आई०टी०आर० का विवरण...

9. आधार कार्ड नम्बर ....

(i) दुकान का नाम...
(ii) दुकान का प्रकार..
(iii) कुल निर्धारित राजस्व जिसमें नवीनीकरण किया जाता है :–
वित्तीय वर्ष 2024–25 (अंको में).......................................(शब्दों में)..
(iv) अनुज्ञापन शुल्क (वित्तीय वर्ष 2024–25) रूपये
(अंको में)......................................(शब्दों में)...
(v) निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि (वित्तीय वर्ष 2024–25) रूपये (अंको में)...........
....(शब्दों में)..
(vi) नवीनीकरण शुल्क (उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 के अनुसार रू0 (अंकों में)...(शब्दो में)...

10. जमा नवीनीकरण शुल्क जमा करने का विवरण– (चालान संख्या, तिथि व धनराशि का विवरण)
नोट – नवीनीकरण शुल्क अनुमोदन के उपरांत जमा किया जाएगा।
नवीनीकरण शुल्क इत्यादि का ब्यौरा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा।

11. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि पूर्व में जमा न की गई है।)

स्थान................................
दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)
आवेदक की प्रास्थिति

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक .... पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 11 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त करने व नवीनीकरण धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान नवीनीकरण हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान................................

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बडे अक्षरों में

नोट–

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी...पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................
....................................निवासी...देशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (सी०एल०–5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (एफ०एल०–5घ)..
....हेतु नवीनीकरण के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया।

दिनांक..................................

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय............................

प्रारूप–2

उत्तराखण्ड आबकारी विभाग की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के वर्ष 2024–25 के लिए नवीनीकरण हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र
(100 रुपये के Non Judicial Stamp पर)

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम् फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा

1. यह कि शपथकर्ता.. पुत्र/पुत्री/पत्नी.. आयु.. अनुज्ञापन संख्या/देशी/विदेशी मदिरा दुकान .... जनपद...का वर्ष 2023– 24 हेतु अनुज्ञापी है।

   पता वर्तमान निवास

   मकान नम्बर..नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...
   ....थाना/पटवारी पट्टी..तहसील/उपतहसील..
   ....जिला.....................................

   पता स्थाई निवास

   मकान नम्बर..नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...
   ....थाना/पटवारी पट्टी..तहसील/उपतहसील..
   ....जिला....................................शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :–

2. यह कि शपथकर्ता ने सी0एल0–5सी (देशी शराब) एवं एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकान ....जिला...................................... के अनुज्ञापन **वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक)** हेतु नवीनीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 में दी गयी शर्तो के आधार पर सहमत हूँ।
3. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे नवीनीकृत की जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
4. उक्त अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
1. यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है/उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है। आवेदक तहसील........ ....जिला.................................का स्थाई निवासी है।
5. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है।
6. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हे आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
7. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी

पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोशी नहीं पाया गया है।

8. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान नवीनीकृत की जाती है तो शपथकर्ता द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 में दिये गये समयान्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा कर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के भीतर जमा नही कर पाया तो शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का नवीनीकरण निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
10. यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2024–25 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपने उक्त अनुज्ञापन को वर्ष 2023–24 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा। यह कि शपथकर्ता के पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरति एवं अनुकूलित) के प्राविधानों व आबकारी नीति विषयक नियमावली – 2024 एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
11. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।
12. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।
13. यह कि शपथकर्ता द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा।
14. यह कि शपथकर्ता ने पात्रता से सम्बंधित समस्त दस्तावेज कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद....................................... में जमा करा दिए हैं।
15. यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान का वर्ष 2023–24 के समस्त राजस्व को जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, आबकारी नीति 2024–25 के नियमों के अनुकूल अवशेष राजस्व जमा नहीं कराने की परिस्थिति में दुकान का निरस्तीकरण किये जाने में उसे कोई आपत्ति नही है।
16. यह कि शपथकर्ता वित्तीय वर्ष 2024–25 (31 मार्च 2025 तक) में निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन हेतु सहमत है और वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रख्यापित आबकारी नीति विषयक नियमावली –2024 अधिसूचना संख्याः 148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 दिनांक 21 फरवरी 2024 के अनुपालन में पूर्ण निष्ठा से दुकान/अनुज्ञापन का संचालन करेगा और नियमों के उल्लंघन एवं राजस्व सम्बन्धित अनियमितता नही करेगा जिससे कि अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।
17. यह कि नियमानुसार निर्धारित समयसीमा में राजस्व/एम०जी०डी०, प्रतिभूतियों को समय से जमा नही करने के कारण दुकान निरस्त होने की दशा में जब्त कर ली जाए।
18. यह कि शपथकर्ता संयुक्त प्रांत अधिनियम – 1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) एवं सम्बन्धित नियमों, आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2024–25 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय – समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। शपथकर्ता वर्ष 2023–24 की शेष अवधि एवं वर्ष 2024–25 में फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाए जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाए।
19. यह कि शपथकर्ता 2024–25 हेतु निर्धारित नवीनीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फीस), निर्धारित वार्षिक राजस्व की जानकारी भली–भाँति प्राप्त कर ली है तथा उक्त के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

20. यह कि शपथकर्ता अपने बैंक खाते से समस्त राजस्व जमा करेगा और भविष्य में यदि कोई त्रुटि के कारण भुगतान (यदि कोई हो तो) वह उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

21. यह कि शपथकर्ता नवीनीकरण करने के उपरांत नवीनीकरण की औपचारिकताओं को निर्धारित समय में पूर्ण करेगा अन्यथा की स्थिति में दुकान का नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाए।

उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर 21 तक दी गयी सूचनाएँ सही एवं सत्य है, मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नही गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान..

दिनांक..समय...............................

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान...दिनांक.............................

प्रारूप—1

मदिरा दुकान के आवेदन पत्र का प्रारूप

(लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर हेतु)

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

वित्तीय वर्ष 2024—25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब —5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा—5घ) हेतु आवेदन पत्र।

(मदिरा की फुटकर दुकान हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली—2024 में निर्धारित शर्तो के अनुसार उपयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकते हैं)

(क) निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें:—

आवेदक का नवीनतम् स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम...
2. पिता/पति का नाम..
3. आयु ....
4. जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष............./............./.............
5. लिंगःपुरूष/महिला..................................
6. स्थाई पता...

मकान नम्बर...
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...
थाना/पटवारी पट्टी..
तहसील/उप तहसील..
जिला...उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)..
मोबाईल नम्बर ....

7. पैन नम्बर...
8. आई०टी०आर० का विवरण ....
9. आधार कार्ड नम्बर ....
10. आवेदित मदिरा दुकान का विवरण...
11. जनपद..

(ख) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें:–

1. सह आवेदक का नाम..

2. पिता / पति का नाम..

3. आयु ....

4. जन्म तिथि: दिवस / माह / वर्ष............. / .... / ....

5. लिंग:पुरूष / महिला...................................

6. स्थाई पता...

सह आवेदक का नवीनतम् स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

मकान नम्बर...
नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक...
थाना / पटवारी पट्टी..
तहसील / उप तहसील..
जिला..उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)..
मोबाईल नम्बर ....

7. पैन नम्बर...

8. आई०टी०आर० का विवरण..

9. आधार कार्ड नम्बर ....

(i) दुकान का नाम...
(ii) दुकान का प्रकार...
(iii) कुल निर्धारित राजस्व :–
वित्तीय वर्ष 2024–25 (अंको में)..(शब्दों में)..
(iv) अनुज्ञापन शुल्क (वित्तीय वर्ष 2024–25) रूपये
(अंको में).....................................(शब्दों में)..
(v) निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि (वित्तीय वर्ष 2024–25) रूपये (अंको में)...........
....(शब्दों में)...
(vi) प्रक्रिया / प्रोसेसिंग शुल्क (उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023 के अनुसार रू0 (अंकों में)...(शब्दो में)..

10. **जमा प्रोसेसिंग शुल्क के बैंक ड्राफ्ट / जमा करने का विवरण–** (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 21.02.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे) :–

11. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि पूर्व में जमा न की गई है।)

स्थान................................
दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

<u>आवेदक की घोषणा</u>

मैं आवेदक .... पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 11 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा अनुज्ञापन प्रार्थना पत्र निरस्त करने व प्रोसेसिंग शुल्क जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान अनुज्ञापन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान................................

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बडे अक्षरों में

नोट–

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी...पुत्र/पत्नी/पुत्री................................... ....निवासी...देशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (सी०एल०–5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (एफ०एल०–5घ)... ....हेतु आवेदन पत्र उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किया गया।

दिनांक......................................

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय...............................

प्रारूप–2

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक की अवधि के लिए देशी मदिरा (देशी शराब–5ग)/विदेशी मदिरा व बियर (विदेशी मदिरा–5घ) के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप (लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी...
.... आयु ....वर्ष...
....

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम् फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर.......................................नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.......................
....थाना/पटवारी पट्टी...
तहसील/उपतहसील...जिला...................................

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर.......................................नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..
थाना/पटवारी पट्टी.......................................तहसील/उपतहसील...जिला............
.........................शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने सी0एल0–5सी (देशी शराब) व एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकान ....थाना..................तहसील.................जिला........................ .... के अनुज्ञान **वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक)** हेतु आवेदन पत्र दिया है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण भारत का नागरिक है एवं उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है/हैं।
4. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है/हैं।
5. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
6. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उस/उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
7. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण के पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों, आबकारी नीति विषयक नियमावली – 2024 एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है। (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।

8. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण मदिरा दुकान आवंटन होने की दशा में अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतियों की धनराशि नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करेगा/करेंगे।
9. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आबकारी नीति विषयक नियमावली – 2024 में निर्धारित समय अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति जमा कर देगा।
10. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हे आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
11. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
12. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
13. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आवंटन के तीस दिवस के भीतर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण करा लेगा/लेंगे।
14. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को सेवायोजित नहीं करेगा/करेंगे।
15. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा/करेंगे।
16. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा/करेंगे।
17. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन होने पर दुकान में बार कोड रीडर मशीन एवं स्वैप मशीन लगायेगा/लगायेंगे।
18. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को आयकर विभाग द्वारा पैन संख्या.................................. एवं पैन संख्या.................................. आंवटित की गयी है/किया गया है।
19. यह कि शपथकर्ता आयकर दाता है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आयकर विवरण की प्रति संलग्न की है।

यह कि प्रस्तार–1 से 19 तक की विषय वस्तु एवं निविदा प्रपत्रों में दी गयी विषय वस्तु हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान..

दिनांक..समय................................

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान..दिनांक..............................

एफ०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

जिला –	लाइसेंस क्रमांक –

आवेदक का नवीनतम प्रमाणितफोटोग्राफ

1. फर्म/कंपनी का नाम..
2. आवेदक का नाम...
3. पिता/पति का नाम...
4. आयु ....
5. जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष............./............./.............
6. लिंग–पुरूष/महिला..
7. फर्म/कंपनी/आवेदक का पैन नम्बर..................................
8. आधार कार्ड नम्बर..
9. आई०टी०आर० का विवरण...
10. TIN/GST नम्बर
11. Email ID (ईमेल आईडी)
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)
13. आवेदक का स्थाई पता...

मकान नम्बर... नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.. थाना/पटवारी पट्टी... तहसील/उप तहसील... जिला..उत्तराखण्ड। दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)... मोबाईल नम्बर ....

14. एफ०एल०–2 का विवरण

मकान नम्बर... नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.. थाना/पटवारी पट्टी... तहसील/उप तहसील... जिला..उत्तराखण्ड। दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)...

मोबाईल नम्बर ....
चौहद्दी एवं जियो लोकेशन का विवरण...

15. आवेदन का विवरण –
    i. (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये (अंको में)............................... ....(शब्दों में)...
    ii. प्रतिभूति धनराशि रूपये (अंको में)......................................(शब्दों में)...

16. प्रोसेसिंग फीस के बैंक ड्राफ्ट का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 21.02.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):–

    (1) प्रोसेसिंग फीस की धनराशि का विवरणः–
        (अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक...
        (ब) बैंक का नाम..
        (स) बैंक ड्राफ्ट की राशि..

    (2) **आवेदन पत्र के साथ संलग्न पहचान व अन्य से सम्बन्धित अभिलेखों का विवरण**ः–
    1...
    2..
    3...
    4...

स्थान.................................

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

प्रारूप – 1

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक .... पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अनुज्ञापन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.................................

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

प्रारूप – 1

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमति / कुमारी...पुत्र / पत्नी / पुत्री.. ....निवासी...एफ०एल०–2 ....हेतु प्रार्थना पत्र उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया। जिसे रजिस्टर के क्रमांक................................ पर दर्ज किया गया।

दिनांक..................................

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.............................

थोक अनुज्ञापनों (एफ०एल०-2) हेतु शपथ पत्र का संशोधित प्रारूप
(वर्ष 2024-25 हेतु)

1. यह कि शपथकर्ता...........................पुत्र/पुत्री/पत्नी........................... निवासी....................................... जनपद........................... आयु.......... द्वारा जनपद............................ के लिये ....थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन किया है।
2. यह कि शपथकर्ता उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है।
3. यह कि शपथकर्ता किसी भी मदिरा निर्माता ईकाई नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता ने थोक अनुज्ञापन हेतु व्यक्तिगत / फर्म की श्रेणी में आवेदन किया है।
5. यह कि शपथकर्ता द्वारा जनपद....................... में थोक अनुज्ञापन के लिये केवल एक आवेदन किया है।
6. यह कि शपथकर्ता पात्र आवेदक है तथा यह भी कि वह संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 के प्राविधानों का पालन करेगा।
7. यह कि उक्त अनुज्ञापन हेतु शपथकर्ता के पास नियमानुसार आवश्यक परिसर उपलब्ध है।
8. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रदेश में मात्र एक एफ०एल०-2 अनुज्ञापन का संचालन किया जाएगा।
9. यह कि शपथकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनकों संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम-1985 के अंतर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।
10. यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-7 के आलोक में अधिनियम के प्रयोजनार्थ शपथकर्ता के विक्रेता/पत्नी/लिपिक/पति आदि के कब्जे से पाये गये अवैध मादक पदार्थ अथवा उनके आपराधिक कृत्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
11. यह कि शपथकर्ता पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकाये दारों की काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
12. यह कि शपथकर्ता राज्य में किसी विदेशी फुटकर मदिरा दुकान का अनुज्ञापी नहीं है।
13. यह कि शपथकर्ता ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा। यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है और आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किया है।
14. यह कि शपथकर्ता सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदत्त किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। शपथकर्ता द्वारा मात्र वैध मदिरा के थोक व्यापार का कार्य किया जायेगा। शपथकर्ता द्वारा अपने विकेताओं पर सदैव सतर्क दृष्टि रखी जायेगी।

15. यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 नियमों एवं को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों का पालन करेगा।

उपरोक्त कमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो शपथकर्ता का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

दिनांक........................ (हस्ताक्षर शपथकर्ता)

स्थान........................

सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

जिला –	लाइसेंस क्रमांक –

1. फर्म / कंपनी का नाम...
2. आवेदक का नाम..
3. पिता / पति का नाम..
4. आयु ....
5. जन्म तिथिः दिवस / माह / वर्ष............. / .... / ....
6. लिंग–पुरूष / महिला..
7. फर्म / कंपनी / आवेदक का पैन नम्बर...................................
8. आधार कार्ड नम्बर...
9. आई०टी०आर० का विवरण...
10. TIN / GST नम्बर
11. Email ID (ईमेल आईडी)
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)
13. आवेदक का स्थाई पता...

आवेदक का नवीनतम प्रमाणित फोटोग्राफ

मकान नम्बर... नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक... थाना / पटवारी पट्‌टी... तहसील / उप तहसील.. जिला...उत्तराखण्ड। दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)... मोबाईल नम्बर ....

14. सी०एल०–2 का विवरण

मकान नम्बर... नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक... थाना / पटवारी पट्‌टी... तहसील / उप तहसील.. जिला...उत्तराखण्ड। दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)...

मोबाईल नम्बर ....
चौहद्दी एवं जियो लोकेशन का विवरण..

15. (क) आवेदन का विवरण –

   i. (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये (अंको में)............................. ....(शब्दों में)..

   ii. धरोहर धनराशि रूपये (अंको में).....................................(शब्दों में)..

   iii. प्रतिभूति धनराशि रूपये (अंको में)....................................(शब्दों में)..

16. जमा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 21.02.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):–

   (1) जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट का विवरणः–

      (अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक...

      (ब) बैंक का नाम...

      (स) बैंक ड्राफ्ट की राशि...

   (2) आवेदन शुल्क की राशि के ड्राफ्ट का विवरणः–

      (अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक...

      (ब) बैंक का नाम...

      (स) बैंक ड्राफ्ट की राशि...

   (3) **आवेदन पत्र के साथ संलग्न पहचान व अन्य से सम्बन्धित अभिलेखों का विवरणः**–

   1...

   2.....................................

   3...

   4..

स्थान................................

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

प्रारूप – 3

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक .... पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अनुज्ञापन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.................................

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

प्रारूप – 3

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री/श्रीमति/कुमारी..पुत्र/पत्नी/पुत्री.. ....निवासी..सी०एल०–2 ....हेतु प्रार्थना पत्र उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया। जिसे रजिस्टर के क्रमांक................................. पर दर्ज किया गया।

दिनांक...................................

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.............................

प्रारूप - 4

देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों (सी०एल०-2) हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
(वर्ष 2024-25 हेतु)

1. यह कि शपथकर्ता...................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी.. निवासी...................................... जनपद........................... आयु.......... द्वारा जनपद............................ के लिये सी०एल०-2 थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन किया है।
2. यह कि शपथकर्ता उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है।
3. यह कि शपथकर्ता ने देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु संबंधित आसवनी .... से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसकी सत्यापित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
4. यह कि शपथकर्ता ने थोक अनुज्ञापन हेतु व्यक्तिगत / फर्म की श्रेणी में आवेदन किया है।
5. यह कि शपथकर्ता द्वारा जनपद...................... में थोक अनुज्ञापन के लिये केवल एक आवेदन किया है।
6. यह कि शपथकर्ता पात्र आवेदक है तथा यह भी कि वह संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 एवं सुसंगत प्राविधानों का पालन करेगा।
7. यह कि उक्त अनुज्ञापन हेतु शपथकर्ता के पास नियमानुसार आवश्यक परिसर उपलब्ध है।
8. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रदेश में मात्र एक सी०एल०-2 अनुज्ञापन का संचालन किया जाएगा।
9. यह कि शपथकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनकों संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम-1985 के अंतर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।
10. यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-7 के आलोक में अधिनियम के प्रयोजनार्थ शपथकर्ता के विक्रेता/पत्नी/लिपिक/पति आदि के कब्जे से पाये गये अवैध मादक पदार्थ अथवा उनके आपराधिक कृत्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
11. यह कि शपथकर्ता पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकाये दारों की काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
12. यह कि शपथकर्ता राज्य में किसी देशी फुटकर मदिरा दुकान का अनुज्ञापी नहीं है।
13. यह कि शपथकर्ता ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा। यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण पत्र में धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किया है।
14. यह कि शपथकर्ता सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से

असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदत्त किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। शपथकर्ता द्वारा मात्र वैध मदिरा के थोक व्यापार का कार्य किया जायेगा। शपथकर्ता द्वारा अपने विक्रेताओं पर सदैव सतर्क दृष्टि रखी जायेगी।

15. यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 नियमों एवं को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों का पालन करेगा।

उपरोक्त कमांक-1 से 14 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो शपथकर्ता का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

दिनांक........................ (हस्ताक्षर शपथकर्ता)

स्थान........................

एफ०एल०–2 (ओ) हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

आवेदक का नवीनतम प्रमाणित फोटोग्राफ

1. फर्म / कंपनी का नाम...
2. आवेदक का नाम...
3. पिता / पति का नाम..
4. आयु ....
5. जन्म तिथिः दिवस / माह / वर्ष............. / .... / ....
6. लिंग–पुरूष / महिला...
7. फर्म / कंपनी / आवेदक का पैन नम्बर...................................
8. आधार कार्ड नम्बर..
9. आई०टी०आर० का विवरण...
10. TIN / GST नम्बर
11. Email ID (ईमेल आईडी)
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)
13. आवेदक का स्थाई पता..

मकान नम्बर.. नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक.. थाना / पटवारी पट्टी.. तहसील / उप तहसील.. जिला..उत्तराखण्ड। दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).. मोबाईल नम्बर ....

14. एफ०एल०–2 (ओ) का विवरण

मकान नम्बर.. नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक.. थाना / पटवारी पट्टी.. तहसील / उप तहसील.. जिला..उत्तराखण्ड।

दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).. मोबाईल नम्बर .... चौहद्दी एवं जियो लोकेशन का विवरण...

15. आवेदन का विवरण –
    i. (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये
    (अंको में)..
    (शब्दों में)..
    ii. प्रतिभूति धनराशि रूपये
    (अंको में)..
    (शब्दों में)..

16. प्रोसेसिंग फीस के बैंक ड्राफ्ट का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 21.02.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):–
    (1) प्रोसेसिंग फीस की धनराशि का विवरणः–
        (अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक...
        (ब) बैंक का नाम...
        (स) बैंक ड्राफ्ट की राशि..
    (2) **अन्य अनिवार्य अर्हताएॅ संबंधित जानकारीयाँ** :–
    1. BWFL-2(S) व्यापार अनुभव का विवरण (संलग्न करें)
    2. आपूर्तक ईकाईयों द्वारा प्रदत्त अधिकृत पत्र का विवरण (संलग्न करें)
    3. ईकाई का टर्न ओवर (संलग्न करें)
    4. ईकाई द्वारा ईडीपी घोषित/आवेदन किए जाने की तिथि
    5. अन्य ब्यौरा (संलग्न करें/उल्लेख करें)

स्थान.................................
दिनांक...............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

<u>आवेदक की घोषणा</u>

मैं आवेदक .... पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान................................

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

थोक अनुज्ञापनों एफ०एल०-2(O) हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
(वर्ष 2024-25 हेतु)

1. यह कि शपथकर्ता...पुत्र/पुत्री/पत्नी..................................... निवासी..जनपद.....................................आयु..................... द्वारा जनपद............................ के लिये ....थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन किया है।
2. यह कि शपथकर्ता ने थोक अनुज्ञापन हेतु व्यक्तिगत / फर्म की श्रेणी में आवेदन किया है।
3. यह कि शपथकर्ता पात्र आवेदक है तथा यह भी कि वह संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 के प्राविधानों का पालन करेगा।
4. यह कि शपथकर्ता आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 के नियम संख्या - 19.1 में वांछित समस्त लाइसेंस की शर्तों को पूर्ण करता है तथा इसे पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में यदि मेरा आवेदन या अनुज्ञापन दोनों निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि उक्त अनुज्ञापन हेतु शपथकर्ता के पास नियमानुसार आवश्यक परिसर उपलब्ध है।
6. यह कि शपथकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम-1985 के अंतर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।
7. यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-7 के आलोक में अधिनियम के प्रयोजनार्थ शपथकर्ता के विक्रेता/पत्नी/लिपिक/पति आदि के कब्जे से पाये गये अवैध मादक पदार्थ अथवा उनके आपराधिक कृत्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
8. यह कि शपथकर्ता पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकाये दारों की काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
9. यह कि शपथकर्ता राज्य में किसी विदेशी फुटकर मदिरा दुकान का अनुज्ञापी नहीं है।
10. यह कि शपथकर्ता ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा। यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है और आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किया है।
11. यह कि शपथकर्ता सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदत्त किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। शपथकर्ता द्वारा मात्र वैध मदिरा के थोक व्यापार का कार्य किया जायेगा। शपथकर्ता द्वारा अपने विकेताओं पर सदैव सतर्क दृष्टि रखी जायेगी।
12. यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 नियमों एवं को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों का पालन करेगा।

उपरोक्त कमांक-1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो शपथकर्ता का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

दिनांक........................ (हस्ताक्षर शपथकर्ता)

स्थान........................